सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2017/12 दायर दिनाँक 11.09.2017

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. भँवरलाल पुत्र मूलाराम, उम्र—64साल, 2. रामेश्वरलाल पुत्र मूलाराम, उम्र—54साल, 3. प्रेमरतन पुत्र मूलाराम, उम्र—51साल, 4. गणेशाराम पुत्र मूलाराम, उम्र—41साल, 5. मदनलाल पुत्र मूलाराम, उम्र—39साल, 6. सीतादेवी पुत्री मूलाराम, उम्र—43साल, समस्त,जाति—माली, निवासी—मैदासर बास, डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ईसाक पुत्र दीन मोहम्मद, उम्र—65साल, 2. ईकलाक पुत्र दीन मोहम्मद, उम्र—62साल, 3. ईकबाल पुत्र दीन मोहम्मद, उम्र—57साल, 4. हाजरा पुत्री दीन मोहम्मद, उम्र—68साल, 5. मुन्नी पुत्री दीन मोहम्मद, उम्र—55साल, 6. रहमत पुत्री दीन मोहम्मद, उम्र—42साल, समस्त,कौम—पिनारा, निवासी—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः—
1. श्री दानाराम भाटी, अधिवक्ता, आवेदकगण।
2. श्री अल्ताफ हुसैन, अधिवक्ता, अनावेदकगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 13.09.2018

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम डीडवाना में स्थित खेत खसरा नम्बर 3844/2754 रकबा 09.14 बीघा के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–2017 / 12
दायर दिनाँक 11.09.2017 निर्णय दिनाँक 31.09.2018
भँवरलाल बनाम् ईसाक, वगैरा।

अप्रार्थीगण ने जरिये वकील जवाब पेश कर निवेदन किया कि, प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र किसी भी सूरत में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे क्योंकि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 3844 / 2754 रकबा 09.14 बीघा भूमि में आने–जाने हेतु उत्तर दिशा में रास्ता तथा पश्चिमी दिशा में डामर सड़क मौके पर अवस्थित है।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 1664 दिनाँक 02.08.2018 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2756 में से होकर दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि को रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया जो कि खसरा नम्बर नम्बर 3844 / 2754 में से होकर जाती है।

विद्वान वकुलाय उभपक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीपक्ष आवेदन को स्वीकार करने की इस्तदुआ कर रहे है। वकील अप्रार्थीपक्ष का तर्क है कि, प्रार्थीपक्ष की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। शरहद डीडवाना के खसरा नम्बर 3844 / 2754 रकबा 09.14 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए अप्रार्थीपक्ष के रास्ता होने के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए बी सी डी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 3844 / 2754 के नजदीकी रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–2017 / 12
दायर दिनॉक 11.09.2017 निर्णय दिनॉक 31.09.2018
भँवरलाल बनाम् ईसाक, वगैरा।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 3844 / 2754 वाके सरहद डीडवाना में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनॉक 02.08.2018 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी से दर्शित लाल लाईन को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **13.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner